...यालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

...सीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
...स्व वाद संख्या : 24/2020
...MS NO. : 2020/00092

–: वादी :– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

भागीरथ पुत्र मंगाराम जाति– कुमावत, निवासी– धारानगरी तहसील– जैतारण जिला– पाली राज0।

1. मांगीलाल पुत्र मंगाराम
2. बुधाराम पुत्र मंगाराम
3. पारकी पत्नी मंगाराम
   जातियान– कुमावत, निवासीगण– धारानगरी तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0।
4. तहसीलदार जैतारण जिला– पाली (राज)

...जस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी ...धिनियम, 1955 एवं 136 भू राजस्व अधिनियम 1955.

तारीख रजूः.17/06/2020

परस्थितः– 1. श्री किशोर कुमार कुमावत, अधिवक्ता वादी।
2. श्री ईमरान खान, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनॉकः– 27/12/2021

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं 136 भू राजस्व अधिनियम 1956. के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि वादी की पैतृक पुश्तेनी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा धारानगरी पटवार हल्का आसरलाई भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निमाज तहसील जैतारण जिला पाली राज0 मे खसरा नम्बर 854 रकबा 0–02 बीघा गै0मु0 बेरा ख0नं0 855 रकबा 81–03 बीघा किस्म चाही चारम, ख0नं0 815 रकबा 9–07 बीघा किस्म चाही दोयम, ख0नं0 1534/1 रकबा 46–10 बीघा किस्म बारानी अव्वल, ख0नं0 511 रकबा 31 बीघा किस्म बारानी अव्वल, ख0नं0 1463 रकबा 15–13 बीघा किस्म बारानी अव्वल, ख0नं0 1484 रकबा 3–15 बीघा किस्म बारानी अव्वल की कृषि भूमि आई हुई है जिसमे वादी अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्तकार एवं खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। नकल जमाबन्दीया साथ पेश है। ... वादी के पिता मंगाराम जी के फौत होने पर फौतेदगी नामान्तरण ... वादी के ... एवं घर मे बोलचाल की भाषा मे लिये जाने वाले वादी का नाम भ... मगा के नाम से नामान्तरण दर्ज कर दिया गया। जबकि वादी का सही व वास्तवि... नाम एवं दस्तावेजी नाम भागीरथ पुत्र मंगाराम जी है जो वादी के राजस्थान सरकार द्वारा जारी राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान कार्ड, बैंक डायरी, पेनकार्ड, विद्यालय टी सी आदि में भी वादी का नाम भागीरथ पुत्र मंगाराम जी दर्ज है जो वादपत्र के साथ संलग्न है जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। इस प्रकार वर्णित नामान्तरण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:30:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

दर्ज राजस्व रेकर्ड मानवीय त्रुटि व रोंग एन्ट्री है। जो आज दिन तक राजस्व र्ड मे चल रही है तथा इस रोंग एन्ट्री की जानकारी दिनांक 03/03/2020 को पर पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर पता चला तो पटवारी हल्का ने उक्त रोंग ट्री को न्यायालय से दुरस्त करवाने का कथन किया जिसके सम्बन्ध मे वादी की क पुश्तैनी सम्पति मे उक्त रोंग एन्ट्री एवं रेकर्ड दुरुस्त करवाने अधिकारी होने से वादपत्र बाबत् घोषणा का विरुद्ध प्रतिवादी के पेश है। वादी का नाम जो राजस्व र्ड मे गलत इन्द्राज किया गया है जिसको हटाने एवं राजस्व रेकर्ड मे वादी अपना ही व वास्तविक व दस्तावेजी नाम भागीरथ पुत्र मंगाराम जी से दर्ज करने एवं द्राज करवाने के अधिकारी वादी होने से उक्त वादपत्र श्रीमान् के समक्ष पेश है। दी को आये दिन उक्त रेकर्ड को लेकर अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना रना पड़ रहा है तथा सरकारी एवं गैरसरकारी योजनाओ से फायदा नही उठा पा रहे न ही ऋण आदि व किसानकार्ड बन रहा है जिस पर सहखातेदारों से सम्पर्क किया उन्होंने मौके पर कब्जे काश्त एवं अपने नाम की रेकर्ड दुरुस्त करवाने का कथन या तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 वादी के परिवार के सदस्य होकर सहखातेदार ाश्तकार होने से प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है इके अलावा अन्य सहखातेदारों के रुद्ध किसी प्रकार की इस्तदुआ नही चाही गई है इसलिए सहखातेदार काश्तकार को तिवादी पक्षकार नही बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 4 राज्य सरकार का प्रतिनिधि एवं तहसीलदार जैतारण लेण्ड होल्डर है जो घोषणा के वादपत्र मे आवश्यक पक्षकार ोने से प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। बिनाय वाद दिनांक 03/03/2020 को टवारी हल्का से सम्पर्क करने एवं उसके द्वारा न्यायालय से आदेश लाने बाबत् थन करने एवं न्यायालय आदेश से ही रेकर्ड दुरुस्त करने एवं उक्त रोंग एन्ट्री हटाने ा कथन करने पर बमुकाम धारानगरी तहसील जैतारण जिला पाली राज 8 मे पैदा ुआ जो श्रीमान् के क्षेत्राधिकाकर एवं श्रवणाधिकार का होने से श्रीमान् के समक्ष पेश ै।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मनस ास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने वकालतनामा पेश किया, जो सा. मि. है। प्रतिवादीगण ने राजीनामा पेश करते हुये कथन किया है कि उपरोक्त अनवान के प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा दावे में वर्णित पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि है जिसमें माफिक हिस्सेनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा मंगाराम जी के फौत के पश्चात नामान्तरण भरा गया उसमें वादी भागीरथ का नाम घरेलू बोलचाल का नाम [illegible] कर [illegible] कि सभी अर्द्धसरकारी दस्तावेजातों में वादी का सही व वास्तविक नाम [illegible] मंगाराम है, जो सही व सत्य है। इस नाम से वादी के पक्ष में [illegible] कर दिया जावें तो प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का कोई आपत्ति एतराज नहीं है।

तहसीलदार जैतारण ने हस्तगत प्रकारण में तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुये यह कथन किया है कि वादी व प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार है तथा वादपत्र में वर्णित कथनों को वादी स्वयं सिद्ध करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:30:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय ावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील प्रार्थी पर गौर मनन किया गया। प्रकरण का बिन्दूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है :-

वादपत्र के अनुसार वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा धारानगरी पटवार हल्का सरलाई भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निमाज तहसील जैतारण जिला पाली राज0 मे ़सरा नम्बर 854 रकबा 0-02 बीघा, ख0नं0 855 रकबा 81-03 बीघा, ख0नं0 5 रकबा 9-07 बीघा, ख0नं0 1534/1 रकबा 46-10 बीघा, ख0नं0 511 ़बा 31 बीघा, ख0नं0 1463 रकबा 15-13, ख0नं0 1484 रकबा 3-15 घा की कृषि भूमि में वादी बतौर खातेदार दर्ज है लेकिन भू अभिलेख में वादी का टिपूर्ण नाम भाकर पुत्र मंगा सहवन से दर्ज हो गया, जो वर्तमान में भी जारी है, दी सही एवं वास्तविक नाम भागीरथ पुत्र मंगाराम जाति कुमावत है। वादी के पिता ाराम की मृत्यु उपरांत तत्कालिन राजस्व कार्मिकों द्वारा फौतदेगी नामान्तरण स्वीकृ करते समय वादी का घरेलू बोलचाल का नाम भाकरराम दर्ज कर दिया। जिसे दी शुद्ध करवानें का अधिकारी है।

. तहसीलदार जैतारण द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर यह निवेदन किया है कि वादी ादपत्र को स्वयं सिद्ध करें।

. प्रतिवादी संख्या 01 से 03 जो कि वादी के भाई व माता है, द्वारा इकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत कर वादपत्र के कथनों का समर्थन करते हुये कथन किया है कि ादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा दावे में वर्णित पैतृक पुश्तैनी ़षि भूमि है जिसमें माफिक हिस्सेनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है ़था मंगाराम जी के फौत के पश्चात नामान्तरण भरा गया उसमें वादी भागीरथ का ाम घरेलू बोलचाल का नाम भाकर कर दिया जबकि सभी अर्द्धसरकारी दस्तावेजातों ें वादी का सही व वास्तविक नाम भागीरथ पुत्र मंगाराम है, जो सही व सत्य है। ़स नाम से वादी के पक्ष में डिक्री व नाम शुद्धिकरण कर दिया जावें तो प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का कोई आपत्ति ऐताराज नहीं है।

3. वादग्रस्त आराजी की जमाबन्दीयां प्रदर्श-1 से प्रदर्श-6 में मांगीलाल, बुद्धाराम, भाकरराम पि0 मंगाराम, पारकी बेवा मंगाराम अंकित है। प्रदर्श-8ए वादी भागीरथ का विद्यालय स्थानान्तरण प्रमाण पत्र, प्रदर्श-9ए वादी का परिवार राशन कार्ड, प्रदर्श-10ए वादी भागीरथ का आधार कार्ड, प्रदर्श-11ए वादी का आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड, प्रदर्श-12ए वादी की एस0बी0आई0 बैंक की खाता पासबुक इत्यादि में वादी के नाम भागीरथ पुत्र मंगाराम दर्ज है। वादी भागीरथ पुत्र मंगाराम ने का साक्ष्य शपथ पत्र PW-1 प्रस्तुत किया। साक्ष्य वादी ने अपने द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में अंकित कथनों, तथ्यों एवं वांछित अनुतोष का समर्थन करते हुये यह बयान किया कि वादी का वादग्रस्त आराजी पर निर्बाध कब्जा काश्त है, तथा वादी के पिता मंगाराम के फौत होने पर फौतेगदी नामान्तरण में वादी के लाड प्यार के एवं घर में बोलचाल की भाषा में लिये जाने वाले वादी का नाम भाकर पुत्र मंगा दर्ज कर दिया जबकि वादी का सही एवं वास्तविक नाम भागीरथ पुत्र मंगाराम है। भू

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bis
Date: 2022.01.24 18:30:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

लेख में दर्ज भाकर पुत्र मंगाराम एक त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध प्रविष्टि है जिसके स्थान भागीरथ पुत्र मंगाराम किया जावे।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह स्पष्ट अभिमत है कि उपलब्ध दस्तावेजात्, साक्ष्य वादी एवं प्रतिवादीगण जो कि वादी के भाई एवं माता है, के कबालिया जवाब दावा से यह स्पष्ट होता हैं कि वादग्रस्त आराजी में बतौर खातेदार दर्ज भाकर पुत्र मंगाराम एवं भागीरथ पुत्र मंगाराम कौम कुमावत निवासी धारानगरी वस्तुतः एक ही व्यक्ति है तथा खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम भाकर पुत्र मंगाराम न होकर भागीरथ पुत्र मंगाराम है। प्रत्येक खातेदार का यह प्राथमिक अधिकार होता है कि उससे सम्बन्धित भू-अभिलेख की समस्त प्रविष्टियां त्रुटि रहित एवं शुद्ध हो। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद-वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा धारानगरी पटवार हल्का आसरलाई भू अभिलेख निरीक्षक निमाज तहसील जैतारण जिला पाली राज0 के खसरा नम्बर 854 रकबा 0-02 बीघा, ख0नं0 855 रकबा 81-03 बीघा, ख0नं0 815 रकबा 9-07 बीघा, ख0नं0 1534/1 रकबा 46-10 बीघा, ख0नं0 511 रकबा 31 बीघा, ख0नं0 1463 रकबा 15-13, ख0नं0 1484 रकबा 3-15 बीघा में बतौर खातेदार दर्ज वादी के त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध नाम की प्रविष्टि ***"भाकर पुत्र मंगाराम"*** को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम ***"भागीरथ पुत्र मंगाराम"*** दर्ज करते हुये वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कद्र निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 27/12/2021 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:30:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

जलास :– डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०

–: वादी :–	बनाम	–: प्रतिवादीगण :–
भागीरथ पुत्र मंगाराम जाति–कुमावत, निवासी– धारानगरी तहसील– जैतारण जिला– पाली राज०।		1. मांगीलाल पुत्र मंगाराम 2. बुधाराम पुत्र मंगाराम 3. पारकी पत्नी मंगाराम जातियान– कुमावत, निवासीगण– धारानगरी तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज०। 4. तहसीलदार जैतारण जिला– पाली (राज)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 — मु०न० :रा०वा० स०: 24/2020

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री किशोर कुमार कुमावत, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री ईमरान खान, अधिवक्ता प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद–वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होर्ने एवं सारवान होर्ने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा धारानगरी पटवार हल्का आसरलाई भू अभिलेख निरीक्षक निमाज तहसील जैतारण जिला पाली राज० के खसरा नम्बर 854 रकबा 0–02 बीघा, ख०नं० 855 रकबा 81–03 बीघा, ख०नं० 815 रकबा 9–07 बीघा, ख०नं० 1534/1 रकबा 46–10 बीघा, ख०नं० 511 रकबा 31 बीघा, ख०नं० 1463 रकबा 15–13, ख०नं० 1484 रकबा 3–15 बीघा में बतौर खातेदार दर्ज वादी के त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध नाम की प्रविष्टि ***"भाकर पुत्र मंगाराम"*** को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम ***"भागीरथ पुत्र मंगाराम"*** दर्ज करते हुये वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद ब शरह ... फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–.....

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 27/12/2021 को जारी किया गया।

माफिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishn
Date: 2022.01.24 18:30:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (जिला–पाली)

सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

ई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
म्प अर्जी दावा	04	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
म्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी		
म्प वजह सबूत	/		महनताना वकील		
नताना वकील	/		खर्चा गवाहान	/	
र्चा गवाहान	02	00	फीस कमीश्नर	/	
स कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बत ईजराय हुक्मनामा	/		मुत्फरिक		
मेजानः–	07	00	मिजानः–	01	00

टः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया या हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:30:01 IST
Reason: SelfAttested